

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकरण अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

765 के0वी0 एकल पथ घाटमपुर-आगरा पारिषण लाईन के निर्माण हेतु कानपुर नगर वन प्रभाग में प्रभावित 0.47128 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 15 वृक्षों/पौधों के पातन, कानपुर देहात न प्रभाग में प्रभावित 0.12352 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 49 वृक्षों /पौधों के पातन, औरैया वन प्रभाग में प्रभावित 0.1280 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 04 वृक्षों/ पौधों के पातन, इटावा वन प्रभाग में प्रभावित 39.8541 हे0 आरक्षित एवं 0.1472हे0 संरक्षित भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 53 वृक्षों/पौधों के पातन, फिरोजाबाद वन प्रभावित 32.8560 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा आगरा वन प्रभाग में प्रभावित 5.9191 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 38 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति अर्थात् कुल 79.4992 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति एवं कुल बाधक 159 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

Proposalसंख्या-FP/UP/trans/39285/2019

राज्य सरकार की सिफारिशें-पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-पी 100/81-2-2019-800(122)/2019, दिनांक 10.12.2019 के द्वारा प्रस्ताव पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी की संस्तुति के आधार पर संस्तुत की जाती है।

(उपर्युक्त भा ग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।)

दिनांक :- 09.12.19

हस्ताक्षर

()

नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव
पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परिवर्तन विभाग
उ० प्र० शासन